संख्या-3148/26-3-97-469/97

प्रेषक,

शारदा प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊः दिनांक 01 जुलाई 1997

विषयः- श्री छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान(भागीदारी भवन) का सत्र प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 440/स0क0/विकास-97-98 दिनांक 10 जून 1997 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्थान में दिनांक 15 जुलाई 1997 से शिक्षा सत्र प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके लिए निम्नलिखित निर्देश प्रस्तावित किये जा रहे हैंः-

1. संस्थान के छात्रावास में प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम प्रवेश क्षमता 300 प्रशिक्षणार्थियों की होगी। प्रशिक्षण की सामान्य अवधि 3 माह अथवा शासन द्वारा समय-समय पर जो निर्धारित की जाय, वह होगी।

2. संस्थान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ,बैंकिंग सेवा रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे चयन बोर्ड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

3. प्रशिक्षणार्थियों का अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का होना आनवार्य होगा और उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही किसी सरकारी /गैर सरकारी सेवा में कार्यरत एवं किसी संस्थान में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए।

4. अभ्यर्थियों के माता पिता / अभ्यार्थियों की सभी श्रोतों से वार्षिक आय रूपया 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. संस्थान में अनुसूचित जाति के 65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 5 प्रतिशत और पिछड़ी जाति के 30 प्रतिशत अभ्यार्थियों का चयन होना चाहिए।

...2

6. अभ्यार्थियों के लिए वे सारी अर्हताएँ आवश्यक होगी जो विभिन्न परीक्षाओं, जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, के लिए अपेक्षित होंगी।

7. प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिए यदि संख्या अधिक हो तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और यदि संख्या बहुत अधिक न हो तो प्राप्त अंकों के आधार पर उनका चयन निम्नलिखित समिति के माध्यम से किया जाये:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
2. निदेशक, समाज कल्याण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
3. निदेशक, जनजाति विकास अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
4. निदेशक, पिछड़ा वर्ग विकास अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण द्वारा नामित एक विशेषज्ञ।
6. निदेशक, छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ,जो समिति के सदस्य सचिव होंगे।

8. संस्थान का संचालन बोर्ड आफ गवर्नस द्वारा किया जायेगा, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण	अध्यक्ष।
2.	निदेशक, समाज कल्याण,उ0प्र0	सदस्य।
3.	निदेशक, जनजाति विकास,उ0प्र0	सदस्य।
4.	निदेशक, पिछड़ा वर्ग, उ0प्र0	सदस्य।
5.	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	सदस्य।
6.	संस्थान के निदेशक	सदस्य सचिव।

इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि संस्थान के निदेशक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जिन्हें संस्थान के सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे। संस्थान की नियमावली बनने तक निदेशक संस्थान के चलाने एवं समय-समय पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप संस्थान में प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ करने की तत्काल व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शारदा प्रसाद)
सचिव।

संख्या- 3148(1)/26-3-97, तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ।
3. निदेशक, अनुसूचित जाति/जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।
4. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
5. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0लखनऊ।
6. निदेशक, छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
7. निजी सचिव, मा0समाज कल्याण मंत्री जी, उ0प्र0शासन।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(शारदा प्रसाद)
सचिव।